न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1213–एक/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–7–2005 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 368/अपील/2003–04.

.....

1–नलसू बल्द धाड़सा

2–बोहरी बल्द धाड़सा (मृत वारिसान :–)

अ–सोमजी वल्द बोहरी

ब–बाराती वल्द बोहरी

स–जिराती वल्द बोहरी

घ–श्यामलाल वल्द बोहरी

ड–कल्लोबाई पुत्री बोहरी

निवासीगण चूनालोमा, तहसील भैसदेही जिला बैतूल म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–रूक्को बेवा मोहरी

2–झिंगा वल्द मोहरी

3–लक्ष्मण वल्द मोहरी

4–उदसिंग वल्द मोहरी

5–बुद्धु वल्द मोहरी

6–देवजी वल्द मोहरी

7–रामलाल वल्द मोहरी

निवासीगण चूनालोमा, तहसील भैसदेही जिला बैतूल म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2, 4, 6 व 7

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 9/6/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–07–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा नामान्तरण पंजी की प्रविष्टी कमांक 227 में पारित प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 5–1–1982 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 10–2–2003 को मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि उनके पिता के नाम से थी और आवेदकगण द्वारा बिना किसी हक के अपना नाम दर्ज करा लिया गया है, जो निरस्त किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–4–2004 को आदेश पारित तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर गुण दोष पर विचार करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 5–7–2005 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त् के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ पेशी दिनांक 27–4–16 को आवेदकगण की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतःप्रकरण का निराकरण अनावेदक की ओर से प्रस्तुत तर्क एवं निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों पर किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया कि अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील लगभग 20–22 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी जो कि पूर्णतः अवधि बाह्य थी ।

(2) अनावेदकगण द्वारा प्रतिदिन के विलम्ब का कारण आवेदन पत्र में नहीं दर्शाया गया है, इसके बावजूद अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का लाभ देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि अनावेदकगण के पिता द्वारा वर्ष 1991 में प्रश्नाधीन नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश को निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो तहसीलदार द्वारा दिनांक 15–1–1991 को निरस्त कर दिया गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा बिना किसी हक के प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नामान्तरण करा लिया गया था, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय में आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और यदि प्रश्नाधीन भूमि पर उनका हक है तो वे साक्ष्य से प्रमाणित कर सकते है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिववक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा जिस नामान्तरण पंजी से आवेदकगण के पक्ष में नामान्तरण किया है, वह उपलब्ध नहीं है और न ही वर्ष 1991 में पारित आदेश से संबंधित प्रकरण ही उपलब्ध है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा संशोधन पंजी कमांक 227 पर वर्ष 1975 में हुये आपसी विभाजन के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जबकि वर्ष 1975 में हुये विभाजन के संबंध में उभयपक्ष द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका है कि वर्ष 1975 में आपसी विभाजन हुआ है । अतः संशोधन पंजी कमांक 227 पर पारित नामान्तरण आदेश, नामान्तरण नियमों के विपरीत होने से निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में

अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त चूँकि अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाना है, जहाँ आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 05--07--2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर